न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर अलवर राज0

प्रशासन गावो के संग अभियान/कैम्प कोर्ट :– ग्राम पंचायत माजरा अहीर

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री रेखा गुर्जर (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :– 81/2019

दायर दिनांक :– 30.08.2021

निर्णय दिनांक :– 18.11.2021

उनवान

01. मामली देवी पत्नी रामनिवास जाति गुर्जर निवासी छिपारी तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

——वादीया

बनाम

01. श्रीमान तहसीलदार महोदय लैण्ड होल्डर बानसूर अलवर राज0

——प्रतिवादी असल

02. मल्लाराम पुत्र भोमाराम जाति गुर्जर निवासी छिपारी तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

03. महावीर पुत्र भोमाराम जाति गुर्जर निवासी छिपारी तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

04. राजूसिंह दत्तक पुत्र प्रकाश चन्द जाति गुर्जर निवासी छिपारी तहसील बानसूर जिला अलवर

—— तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा दुरूस्ती इन्द्राजात

अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्तागणः–

01. वादीयाः– श्री रामकृष्ण चौपडा एड.

02. प्रतिवादीगणः– पैरोकार सरकार

निर्णय

आज यह पत्रावली मेरे समक्ष प्रशासन गावो के संग अभियान/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत माजरा अहीर में वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 355 रकबा

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

2 बीघा 19 बिस्वा, 364 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, 365 रकबा 6 बिस्वा जिसके सम्वत 2060 में हाल आराजी खसरा नम्बर 461 रकबा 0.76 हैक्ट0, 476 रकबा 0.87, 477 रकबा 0.08 हैक्टेयर वाके मौजा छिपारी तहसील बानसूर जिला अलवर राज0 की आराजी है। जिसे वाद पत्र में विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। वादनी के पति रामनिवास दिनांक 01.05.2018 को फौत हो चुके है लेकिन विरासत का इन्तकाल वारीस के पक्ष में दर्ज व मंजूर नहीं हुआ है। विवादित आराजी वादनी के पति रामनिवास व प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 3 की 1/4 – 1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 4 के पिता प्रकाश चन्द की 1/4 हिस्से की आराजी रही है जो विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 355, 364, 365 वादनी के पति रामनिवास तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 एंव प्रतिवादी संख्या 4 के पिता प्रकाश चन्द है। वादनी के पति रामनिवास व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 एवं प्रतिवादी संख्या 4 के पिता द्वारा विवादीत आराजी जर्ये बैयनामा खरीद करने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 व उसके अधिनस्थ कर्मचारी द्वारा बैयनामा दिनांक 04.06.1991 के आधार पर नामान्तरण संख्या 315 दिनांक 07.07.1991 को दर्ज किया जाकर दिनांक 28.08.1991 को मंजूर किया गया। लेकिन उक्त इन्तकाल में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खिलाफ कानून, खिलाफ मौका व विरूद्व रिकॉर्ड वादनी के पति रामनिवास के नाम के स्थान पर रामस्वरूप अंकित कर दिया गया। जबकि वादनी का पति रामनिवास है। तथा बैयनामा में भी रामनिवास अंकित है तथा मृतक भोमाराम का विरासत का इन्तकाल भी रामनिवास के पक्ष में दर्ज मंजूर हुआ है। तथा वादनी के पति का समस्त रिकॉर्ड भी रामनिवास के नाम से है। दिनांक 01.05.2018 को वादनी के पति फौत होने के उपरान्त वादनी अपने पति के विरासत का इन्तकाल दर्ज व मंजूर करवाने हेतु माह अक्टुबर में हल्का पटवारी से सम्पर्क की तो हल्का पटवारी ने कहा की आपके नाम विरासत का इन्तकाल दर्ज नहीं हो सकता क्योकी हाल रिकॉर्ड में आपके पति का नाम रामस्वरूप अंकित है इसको दुरूस्त करवाकर लाओ जिस पर वादनी बैयनामा दिनांक 04.06.1991 को लेकर प्रतिवादी संख्या 1 से सम्पर्क किया तो प्रतिवादी संख्या 1 वादनी के पति का नाम सही करने के लिए न्यायालय से दुरस्त करवाकर लाने के लिए कहा तभी विरासत का इन्तकाल दर्ज करेगे इस लिए यह वाद पेश करना लाजिम आया।

वाद पत्र दर्ज पंजिका किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 पैरोकार सरकार ने बिन्दुवार अपना जबाब प्रस्तुत किया गया। तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 4 की ओर से इकबाल जबाब प्रस्तुत कर वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया गया है।

वादीया की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श–01 दस्तावेज बैयनामा, प्रदर्श –02 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2060, प्रदर्श– 03 नकल नामान्तकरण संख्या 315, प्रदर्श –04 नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–75, प्रदर्श – 05 नकल नामान्तकरण संख्या 490 रामनिवास पेश किये है। तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में पी.डब्ल्यु–01 मामली देवी के शपथ पत्र, पी. डब्ल्यु –02 रामस्वरूप के शपथ व

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

फोटो प्रति राशन कार्ड, फोटो प्रति भामाशाह कार्ड, फोटो प्रति बैक पास बुक, मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किये। प्रतिवादी पैरोकार सरकार की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई बहस वकुलाय सुनी गई।

हमने पत्रावली में पेश राजस्व रिकॉर्ड एवं वादीया द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात तथा शपथ पत्र का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया। एवं मौखिक बहस पर मनन किया । वादीया की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज बैयनामा में वादिया के पति का नाम रामनिवास पुत्र भौमाराम दर्ज है उपरोक्त बैयनामा के आधार पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तकरण संख्सा 315 दर्ज किया गया है जिसके कॉलम संख्या 9 में वादीया के पति का नाम रामनिवास की जगह रामस्वरूप दर्ज किया गया है जो बैयनामा के अनुसार नहीं है इसलिए विवादित नामान्तकरण संख्या 315 वाके छिपारी तहसील बानसूर के इन्द्राजात वादीया के हकूको के प्रति बातिल व बेअसर करार दिया जाता है। काबिल दुरूस्ती है। अतः समस्त विवेचन के बाद वादीया का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आदेश है कि:—

आदेश

वादीया का वाद स्वीकार कर आदेश है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 461 रकबा 0.76 हैक्ट0, आराजी खसरा नम्बर 476 रकबा 0.87 हैक्ट0, आराजी खसरा नम्बर 477 रकबा 0.08 हैक्टेयर वाके मौजा छिपारी तहसील बानसूर जिला अलवर राज0 में दर्ज रामस्वरूप पुत्र भौमाराम के बजाय रामनिवास पुत्र भौमाराम दर्ज किया जावे। शेष इन्द्राजात यथावत रहें। आदेश की पालना में पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

सहायक कलक्टर
बानसूर अलवर

यह निर्णय आज दिनांक 18.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत माजरा अहीर में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

सहायक कलक्टर
बानसूर अलवर

न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर अलवर राज0

प्रशासन गावो के संग अभियान / कैम्प कोर्ट :– ग्राम पंचायत माजरा अहीर
पीठासीन अधिकारी :– सुश्री रेखा गुर्जर (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या :– 81 / 2019
दायर दिनांक :– 30.08.2021
निर्णय दिनांक :– 18.11.2021

उनवान

01. मामली देवी पत्नी रामनिवास जाति गुर्जर निवासी छिपारी तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

—वादीया

बनाम

01. श्रीमान तहसीलदार महोदय लैण्ड होल्डर बानसूर अलवर राज0

—प्रतिवादी असल

02. मल्लाराम पुत्र भोमाराम जाति गुर्जर निवासी छिपारी तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
03. महावीर पुत्र भोमाराम जाति गुर्जर निवासी छिपारी तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
04. राजूसिंह दत्तक पुत्र प्रकाश चन्द जाति गुर्जर निवासी छिपारी तहसील बानसूर जिला अलवर

— तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा दुरूस्ती इन्द्राजात
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्तागण:–

01. वादीया:– श्री रामकृष्ण चौपडा एड.
02. प्रतिवादीगण:– पैरोकार सरकार

पर्चा डिक्री

अतः वादीया का वाद डिक्री कर आदेश है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 461 रकबा 0.76 हैक्ट0, आराजी खसरा नम्बर 476 रकबा 0.87 हैक्ट0, आराजी खसरा नम्बर 471 रकबा 0.08 हैक्टेयर वाके

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible]
[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 2021 को [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] / [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] की [illegible]।

[illegible]
[illegible]